न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी/अपील डिक्री/टी.ए./2003/540/बूंदी

1. गजराज कंवर पत्नी रतनसिंह,
2. भंवरसिंह पुत्र रतन सिंह,
3. विष्णु पुत्र रतन सिंह (मृतक नाम तर्क)
   निवासीगण ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. केसरीसिंह पुत्र चन्दन सिंह मृतक जरिए वारिसान–
   1/1 भैरूसिंह पुत्र केसरीसिंह,
   1/2 गोपालसिंह पुत्र केसरीसिंह,
   1/3 जोधराज सिंह पुत्र केसरीसिंह,
   1/4 मु. गोविन्द कंवर पुत्री केसरीसिंह ,
   1/5 भंवरबाई बेवा केसरीसिंह
   निवासीगण डपटा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी।
2. रतनसिंह पुत्र संग्राम सिंह (मृतक नाम तर्क)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़, जिला बून्दी।

...अप्रार्थीगण

खण्डपीठ

श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :

1. श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक : 06–02–2026

1. हस्तगत नजरसानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा–229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील डिक्री टी.ए. संख्या–163/2002 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2002 (जिसे आगे **"आलोच्य निर्णय"** लिखा जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. नजरसानी प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, केशवरायपाटन, जिला बूंदी (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** लिखा जाएगा) में प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 12.01.2001 के माध्यम से सशर्त स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या–1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"**

लिखा जाएगा) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने निर्णय दिनांक 23.08.2001 के माध्यम से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए उसे विवादित आराजी के संबंध में खातेदार टीनेंट घोषित किया। अपीलीय प्राधिकारी के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल न्यायालय में धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के साथ द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 06.08.2002 को एडमिशन के स्तर पर खारिज किया गया। राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय से व्यथित हो प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत नजरसानी प्रार्थना–पत्र खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने नजरसानी ज्ञापन में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खण्डपीठ द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध तथा विधिक प्रक्रिया को अनदेखा कर पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या–1/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत वाद सिद्ध नहीं किया गया तथा अपील न्यायालय द्वारा वाद में अंकित विवादित भूमि को पैतृक भूमि मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया गया, जबकि विवादित भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का अधिकार निहित है। उन्होंने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–2 को राजीनामा व इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था क्योंकि विवादित भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें समस्त पक्षकारान का समान अधिकार है। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व इकबाली जवाब दावा प्रार्थीगण के अधिकारों के विरुद्ध है तथा वह इकरारनामा व इकबाली जवाब दावा प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं रखता है। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक का यह भी कहना रहा है कि खसरा नंबर 588 रकबा 29 रकबा 7 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या–2 के पिता संग्रामसिंह के नाम पर विधिक रूप से दर्ज की गई थी, जिसमें अप्रार्थी संख्या–1 का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही खसरा नंबर–588 रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा में भी अप्रार्थी संख्या–1 का कोई कब्जा एवं काश्त नहीं होने से उक्त भूमि पर भी अप्रार्थी संख्या–1 का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व मण्डल न्यायालय ने भी अपने निर्णय में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्णय में त्रुटि होना माना है। राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन नहीं कर मात्र सरसरी तौर पर प्रस्तुत द्वितीय अपील को एडमिशन के स्तर पर खारिज कर विधिक त्रुटि कारित की है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचारण किये बिना प्रदत्त निर्णय रिव्यू योग्य माना जाता है। वर्तमान में रतन सिंह की मृत्यु हो चुके उपरांत भी उसके वारिसान प्रार्थीगण का विधिक अधिकार समाप्त नहीं होता है। मण्डल न्यायालय के निर्णय में स्पष्टतः अभिलेख पर दृष्टव्य त्रुटि है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

i. 2018 RBJ 426

ii. 2007 RRD 815
iii. 2007 RRD 417
iv. AIR 2006 SC 75
v. 2007 RRD 812
vi. 2009 (1) WLC SC Civil 314
vii. 2024 (3) DNJ Raj. 1319
viii. 2005 (AIR) SC 592

अंत में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने उपर्युक्त तथ्यों व न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने एवं आलोच्य निर्णय को निरस्त कर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का विवेचन एवं विश्लेषण कर ही माननीय खण्डपीठ ने आलोच्य निर्णय पारित किया है। मण्डल न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट विवेचन कर रतन सिंह व केसरी सिंह को ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संभाव्य व्यथित पक्षकार होना विश्लेषित कर रतन सिंह के पुत्रों व पत्नि को रतन सिंह के जीवनकाल में उसकी भूमि में स्वामित्व घोषित करवाने का विधिक अधिकारी नहीं होना विवेचित कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होना माना है। निर्णय में अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में इंगित त्रुटि इस निर्णय की नजरसानी का आधार नहीं बन सकती। वैसे भी अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय ने प्रकरण को दोनों पक्षों के मध्य सम्पादित राजीनामें के आधार पर ही डिक्री किया है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का क्लेम औचित्यहीन हो जाता है। नजरसानी/पुनर्विलोकन का दायरा अत्यन्त सीमित है और आलोच्य निर्णय दिनांक 06.08.2002 में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसे अभिलेख पर दृष्टव्य त्रुटि की श्रेणी में माना जाए। मण्डल की खण्डपीठ द्वारा विस्तृत विवेचना के बाद पूर्ण सोच विचार पश्चात सकारण निर्णय पारित किया गया है और पुनर्विलोकन के माध्यम से ऐसे निर्णय को अपास्त नहीं किया जा सकता है। अतः विद्वान अभिभाषक ने नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आलोच्य निर्णय का अद्योपांत अवलोकन किया गया।

7. विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 वादी केसरी सिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 रतन सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत दावे में वादी व प्रतिवादी रतन सिंह के पिता संग्राम सिंह परस्पर भाई होकर पिता चन्दन सिंह की मृत्यु उपरांत पारिवारिक पैतृक भूमि का दोनों पक्षकारों के मध्य अंकन गलत दर्ज हो जाना क्लेम कर साबिक नम्बर 588 रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा में से 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि हाल नम्बर 909 रकबा 0.98 हैक्टर व 910 रकबा 1.05 हैक्टर को प्रतिवादी की बजाय वादी की खातेदारी में दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया। दावे में इकबाली जवाब व राजीनामा पेश हुआ, जिसके उपरांत विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक

12–1–2001 द्वारा भूमि बाबत मुद्रांक व पंजीयन शुल्क जमा होने पर डिक्री जारी किये जाने का सशर्त आदेश दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध केसरी सिंह द्वारा अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय में दायर अपील में अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय ने सेटलमेंट को इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार न होना, पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर भूमि पैतृक होना व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीकशुदा होने से प्रकरण विधिवत इसी अनुसार डिक्री योग्य होना विवेचित कर निर्णय दिनांक 23–8–2001 द्वारा विवादित भूमि हेतु केसरी सिंह को खातेदार घोषित किया गया।

8. अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रतन सिंह के पुत्रों व पत्नि प्रार्थीगण द्वारा धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व मण्डल न्यायालय में दायर अपील को खण्डपीठ ने आलौच्य निर्णय दिनांक 06–8–2002 द्वारा एडमिशन स्तर पर खारिज किया गया है। आलौच्य निर्णय में स्पष्ट एवं पूर्ण विश्लेषण करते हुये केसरी सिंह व रतन सिंह का ही संभावित व्यथित पक्षकार होकर उनके द्वारा अपील प्रस्तुत न करना, भूमि पुश्तैनी होने पर भी रतन सिंह की पत्नि अथवा पुत्रों को उसके जीवनकाल में भूमि में विधिवत हिस्सा न मिल सकना, अपील मीमों में प्रार्थीगण द्वारा क्लेम की गई भूमि बाबत स्पष्टता न होने आदि आधारों पर प्रार्थीगण को धारा 96 सीपीसी अनुसार अपील पेश करने की अनुमति देय न होना मानते हुये अपील अस्वीकार की गई है। खण्डपीठ का निर्णय तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर विवेचन करते हुये गुणावगुण पर विचारण उपरांत दिया गया है, जिसमें हम अभिलेख पर स्पष्ट दृष्ट्व्य कोई त्रुटि होना नहीं मानते हैं। नजरसानी का स्कोप सीमित होकर यह अपील की पुनः सुनवाई का जरिया नहीं हो सकता है। आलौच्य निर्णय पूर्ण विचारण उपरांत विवेचन अंकित करते हुये दिया गया है जिसमें नजरसानी स्वीकार किये जाने योग्य कोई तथ्यपरक व विधिक आधार परिलक्षित नहीं होता तथा अगर प्रार्थीगण निर्णय से असंतुष्ट होकर इसमें कोई कमी मानते हैं तो वे आलौच्य निर्णय को स्थापित विधि अनुसार चुनौती दे सकते हैं। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के ससम्मान अवलोकन पश्चात हमारा विनम्र अभिमत है कि विचाराधीन प्रकरण की तथ्यगत स्थिति भिन्न होने से नजीर दृष्टान्त इसमें चस्पायोग्य नहीं है। सारतः प्रस्तुत नजरसानी सारहीन होकर निरस्तनीय है।

9. विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य